जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

# जयपुर शहर के सरकारी कार्यालयों में प्री–पेड मीटर लगाने का कार्य मंगलवार से

जयपुर, 03 अगस्त। जयपुर शहर वृत में वेण्डिग स्टेशन की स्थापना होने के साथ ही मंगलवार से सरकारी कार्यालयों में सिंगल फेज के प्री पेड मीटर लगाने का कार्य प्रारम्भ हो जाएगा तथा जयपुर शहर वृत में डिस्कॉम के 17 कार्यालयों में जंहा सिंगल फेज के कनेक्शन है वहां एक सप्ताह में प्री पेड मीटर लगा दिए जाएंगे।

जयपुर विद्युत वितरण निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री भास्कर ए. सावंत की अध्यक्षता में सोमवार को सरकारी कार्यालयों में प्री पेड बिजली मीटर से सम्बन्धित आयोजित मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि पहले चरण में डिस्कॉम के 4 बड़े वृतों जयपुर शहर वृत, जयपुर जिला वृत, अलवर वृत एवं कोटा वृत में सिंगल फेज के मीटर लगाने का कार्य किया जाएगा। इसके तहत जयपुर शहर वृत में आज वेण्डिग स्टेशन की स्थापना हो गई है तथा कल से वेण्डिग स्टेशन के शुरु होने के साथ ही प्री पेड मीटर लगाने का कार्य शुरु हो जाएगा।

उन्होंने बताया कि जयपुर शहर वृत में 927 सरकारी कार्यालयों को प्री पेड मीटर लगाने के लिए जुलाई माह के अन्त में 30 दिन के नोटिस भेज दिए गए हैं। इनके द्वारा राशि जमा कराते ही प्री पेड मीटर लगा दिए जाएगें। मुख्य सचिव महोदय द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार नोटिस देने के 30 दिन की अवधि के बाद निगम स्वतः ही शुन्य बेलेन्स पर प्री पेड मीटर लगा देगा तथा इन मीटरों की स्थापना के बाद 10 दिन तक बिजली सप्लाई चालू रहेगी एवं 10 दिन बाद राशि जमा नही होने पर बिजली सप्लाई स्वतः ही बन्द हो जाएगी।

श्री सावंत ने बताया कि जयपुर जिला वृत, अलवर वृत एवं कोटा वृत भी को भी निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे भी अपने क्षेत्र के सरकारी कार्यालय, जहां सिंगल फेज के प्री पेड बिजली मीटर लगने हैं उनको नोटिस देने की कार्यवाही शुरु कर दें। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वृत में 100 प्री पेड मीटर लगाने के लक्ष्य के तहत 3300 प्री पेड बिजली मीटरों की जांच होने के उपरान्त स्टोर में उपलब्ध हैं तथा शीघ्र ही सभी वृतों में इनको भेज दिया जाएगा।

उन्होंने टेम्प्रेरी कनेक्शन मे भी प्री पेड बिजली मीटर लगाने की सम्भावना के लिए प्री पेड बिजली मीटर आपूर्ति करने वाली कम्पनी के प्रतिनिधि को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जयपुर डिस्कॉम के शेष सभी वृतों में सरकारी कार्यालय जहां सिंगल फेज प्री पेड मीटर लगाने हैं उनको चिन्हित करने के निर्देश भी दे दिए हैं, जिससे समय पर उनको नोटिस जारी किये जा सकें।

———

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 252/2015